भारत के चुनावी परदृिश्य में बदलाव

प्रलिम्सि के लयि: भारत नर्विाचन आयोग, पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतकि दल, वीवीपीएटी, लोक प्रतनिधित्वि अधनियिम 1950, लोक प्रतनिधित्वि अधनियिम, 1951, CAG, सूचना का अधकिार अधनियिम, 2005, वधि आयोग।

मेन्स के लयि: स्वतंत्र और नष्पिक्ष चुनाव सुनश्चिति करने में भारत के नर्विाचन आयोग की भूमकिा, हालयिा चुनावी सुधार और चुनावी अखंडता को मज़बूत करने के लयि आवश्यक अतरिक्ति उपाय।

स्रोत: PIB

चर्चा में क्यों?

भारतीय नर्विाचन आयोग (ECI) ने चुनावी प्रक्रयिा को **सुव्यवस्थति करने, पारदर्शतिा बढ़ाने, मतदाता भागीदारी** को सुदृढ़ करने और भारत के लोकतांत्रकि ढाँचे की वश्विसनीयता बनाए रखने के लयि कई पहल की हैं।

भारत की चुनाव प्रक्रयिा को मज़बूत करने के लयि कौन-से प्रमुख सुधार कयि गए हैं?

- **मतदाता सूची प्रबंधन**: चुनाव आयोग ने 476 नष्क्रयि पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतकि दलों (RUPPs) की पहचान की है, ताकि यह सुनश्चिति कयिा जा सके कि **राजनीतकि दलों की सूची सटीक और अद्यतन** बनी रहे।
  - **चार राज्यों में उपचुनावों** से पहले **वशिष संक्षपि्त संशोधन** के माध्यम से **मतदाता सूचयिों को संशोधति** कयिा गया, जो **दो दशकों** में इस तरह की पहली कवायद थी।
  - इसके अलावा, **बहिार में मतदाता सूची** का **वशिष गहन पुनरीक्षण** कयिा गया ताकि यह सुनश्चिति कयिा जा सके कि **कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए** और **कोई भी अपात्र** नाम न रह जाए।
  - **देश भर में डुप्लकिेट EPIC (मतदाता) कार्ड** समाप्त कर दयि गए, जससिे प्रत्येक मतदाता को एक **वशिष्टि पहचान संख्या मलि गई** और **मतदाता सूचयिों** में **त्रुटयिाँ** कम हो गईं।
- **प्रौद्योगकिी-संचालति पारदर्शतिा और नगिरानी**: चुनाव आयोग ने ECINET नामक एक वन-स्टॉप डजिटिल प्लेटफॉर्म लॉन्च कयिा है, जो **नर्विाचकों, मतदाताओं, चुनाव अधकिारयिों और राजनीतकि दलों** द्वारा उपयोग कयि जाने वाले **40 से अधकि अनुप्रयोगों और वेबसाइटों** को एक साथ लाता है।
  - **नर्विाचन क्षेत्र स्तर** पर **चुनाव संबंधी डेटा** को अधकि **सुलभ बनाने के लयि डजिटिल इंडेक्स कार्ड** और **रपिोर्ट** शुरू की गईं, जससिे **सूचति नर्णिय** लेने में सहायता मलिी।
  - **प्रमुख गतविधियिों पर नजर रखने** तथा **मतदान प्रक्रयिा को सुचारू रूप से तथा बनिा कसिी उल्लंघन** के संपन्न कराने के लयि **मतदान केंद्रों की 100% वेबकास्टगि** लागू की गई।
- **बूथ स्तर पर सुधार**: **क्षेत्र स्तर पर पारदर्शतिा** में सुधार लाने और **चुनाव प्रक्रयिा** में **जनता का वश्विास बढ़ाने के लयि बूथ स्तर के अधकिारयिों (BLO) को मानक फोटो पहचान पत्र** जारी कयि गए।
  - मतदान केंद्रों पर **मतदाताओं की संख्या 1,200 तक सीमति** कर दी गई, जससिे **भीड़ कम हुई, कतारें छोटी हुई** और **ऊँची आवासीय परसिरों और सोसाइटयिों** में **अतरिक्ति बूथ बनाने** की अनुमति मलिी।
- **मतदाता सत्यापन और सटीकता**: **फॉर्म 17C (मतदान केंद्र पर दर्ज मतों का लेखा-जोखा)** और **EVM डेटा** के बीच **बेमेल** के मामलों में, और जहाँ भी **मॉक पोल डेटा** मटिाया नहीं गया था, वहाँ **VVPAT पर्ची की गनिती अनविार्य रूप** से लागू की गई, ताकि **मतगणना** की **सटीकता और वश्विसनीयता सुनश्चिति** की जा सके।

भारत की नर्विाचन प्रक्रयिा के सामने प्रमुख चुनौतयिाँ क्या हैं?

- **चुनाव व्यय में वृद्धि**: चुनावों में **वास्तवकि व्यय और कानूनी रूप से नर्धिारति सीमा** के बीच का **अंतर** बढ़ता जा रहा है।
  - उम्मीदवार और राजनीतकि दल अक्सर नर्धिारति खर्च सीमा से अधकि व्यय कर देते हैं, जससिे व्यय की कम रपिोर्टगि और छायात्मक

वत्तिपोषण (shadow financing) होता है।
  - यह **भ्रष्टाचार** को बढ़ावा देता है और **काले धन के नर्िमाण** में योगदान करता है।
- **राजनीतिका अपराधीकरण:** कई **आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार** चुनाव लड़ते और जीतते हैं, क्योंकि **राजनीतिज्ञ-अपराधी संबंध** धन एवं शक्तिपर आधारित होता है।
  - वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में, **543 नए नर्िवाचति सांसदों में से 251 (46%)** के वरि्द्ध **आपराधिक मामले दर्ज** हैं।
- **मतदाता अधिकार हनन और मतदान प्रतिशित की समस्याएँ:** सुदृढ़ **चुनावी मशीनरी** के बावजूद, **नकली मतदान, मतदाता सूची में नाम न होना** और **नगरीय क्षेत्रों में कम मतदान** जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
  - **आंतरिक प्रवासी, वरिष्ठ नागरिक** और **विशिष आवश्यकता वाले लोग** अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने में **बाधाओं** का सामना करते हैं, जिससे **समावेशिता** अप्रभावी बन जाती है।
- **फ्रीबीज़/मुफ्तखोरी की राजनीति और लोकलुभावन वादे:** चुनावों के दौरान अस्थिर फ्रीबीज़/मुफ्त सुविधाओं की बढ़ती संस्कृति वित्तीय अनुशासन और ज़िम्मेदार शासन को अप्रभावी करती है।
  - **मतदाता** दीर्घकालिक विकासात्मक एजेंडों की बजाय **तात्कालिक लाभों** से प्रभावित होते हैं।
  - **स्पष्ट दिशा-निर्देशों की अनुपस्थिति** के कारण **कल्याणकारी योजनाओं** और **वित्तीय लोकलुभावनवाद** के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है।
- **चुनावी हिंसा और बूथ-स्तरीय संवेदनशीलताएँ:** यद्यपि कम हुई है, फिर भी कभी-कभी **हिंसा, मतदाताओं को डराने-धमकाने की घटनाएँ और बूथ-स्तरीय मतदान पैटर्न** का खुलासा अभी भी होता है।
  - **संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों** में **अपर्याप्त बूथ प्रबंधन स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों** को कमज़ोर करता है।
  - **टोटलाइज़र मशीनों की अनुपस्थिति** समुदायों को **चुनाव-परांत प्रतिशोध** के खतरे के प्रति और अधिक असुरक्षित बनाती है।
- **प्रौद्योगिकीय और साइबर खतरे:** सोशल मीडिया पर **डीपफेक, भ्रामक जानकारी और एल्गोरिदम-आधारित हेर-फेर** का उभरना **चुनावी निष्पक्षता** के लिये **एक नई तरह का खतरा** प्रस्तुत करता है।
- **मतदाता सूची में हेर-फेर: मतदाता सूची में छल-कपट** के आरोप और विभिन्न राज्यों में **दोहराए गए EPIC नंबर** मतदाता सूची की विश्वसनीयता और जनविश्वास को कमज़ोर करते हैं।
- **दल-आंतरिक लोकतंत्र की कमी: राजनीतिक दल** अत्यधिक **केंद्रीकृत** एवं **अपारदर्शी** तरीके से कार्य करते रहते हैं, जहाँ **वंशवादी प्रभुत्व, पारदर्शी उम्मीदवार चयन** की कमी तथा **जवाबदेही की दुर्बलता** बनी रहती है।
  - यह **लोकतांत्रिक मूल्यों** के विपरीत है और **वास्तविक नेतृत्व** के उभरने में बाधा उत्पन्न करता है।

भारत में चुनाव सुधार

चुनाव सुधार, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये किये गये बदलाव हैं।

वर्ष 1996 से पूर्व में हुए चुनाव सुधार

- **आदर्श आचार संहिता (1969):** राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव संबंधी दिशा-निर्देश
- **61वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1988):** मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना
- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) (1989):** अलग-अलग रंगीन मतपेटियों से मतपत्रों में और बाद में EVM में परिवर्तित
- **बूथ कैप्चरिंग (1989):** ऐसे मामलों में मतदान स्थगित करने या चुनाव रद्द करने का प्रावधान
- **मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) (1993):** मतदाता सूची पंजीकृत मतदाताओं को EPIC जारी करने का आधार है।
- **भारत का निर्वाचन आयोग- एक बहु-सदस्यीय निकाय (1993):** मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आलावा अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

वर्ष 1996 का चुनाव सुधा

- **उप-चुनाव के लिये समय-सीमा:** विधानसभा में किसी भी रिक्ति के 6 माह के अंदर चुनाव को अनिवार्य किया गया
- **उम्मीदवारों के नामों की सूची:** चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लिस्टिंग के लिये 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है:
  - मान्यता प्राप्त और पंजीकृत-गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
  - अन्य (स्वतंत्र)
- **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के आधार पर अपमान करने पर अयोग्यता:** 6 वर्ष के लिये चुनाव में अयोग्यता हो सकती है:
  - भारत के राष्ट्रीय ध्वज, संविधान का अपमान करना या राष्ट्रगान गाने से रोकना

वर्ष 1996 के पश्चात् चुनाव सुधार

- **प्रॉक्सी वोटिंग (2003):** सेवा मतदाता सशस्त्र बलों और सेना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बल चुनाव में प्रॉक्सी वोट डाल सकते हैं।
- **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन (2003):** जनता को संबोधित करने के लिये चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का समान बंटवारा।
- **EVM में ब्रेल संकेत विशेषताओं का परिचय (2004):** दृष्टिबाधित मतदाताओं को बिना किसी परिचारक के अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान करना

वर्ष 2010 के चुनाव सुधार

- विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार (2010)
- मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन (2013)
- नोटा विकल्प का परिचय (2014)
- **मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) (2013):** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये EVM के साथ VVPAT की शुरूआत
- **EVM और मतपत्रों पर उम्मीदवारों की तस्वीरें (2015):** उन निर्वाचन क्षेत्रों में भ्रम से बचने के लिये जहाँ उम्मीदवारों के नाम एक समान होते हैं
- **चुनाव बॉन्ड की शुरूआत (2017 बज़ट):** राजनीतिक दलों के लिये नकद दान का एक विकल्प
  - SC द्वारा असंवैधानिक घोषित (2024)
- इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) का आरंभ (2021)
- दिव्यांगजनों और 85 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिये होम वोटिंग (2024)

महत्त्वपूर्ण समितियाँ/आयोग

समितियाँ/आयोग	वर्ष	उद्देश्य
तारकुंडे समिति	1974	जय प्रकाश नारायण (जेपी) द्वारा "संपूर्ण क्रांति" आंदोलन के दौरान।
दिनेश गोस्वामी समिति	1990	चुनाव सुधार
वोहरा समिति	1993	अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ पर
इन्द्रजीत गुप्ता समिति	1998	चुनावों का राज्य वित्त पोषण
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग	2007	शासन में नैतिकता पर रिपोर्ट (वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में)
तन्खा समिति (कोर कमेटी)	2010	निर्वाचन विधि और चुनाव सुधारों के संपूर्ण पहलू पर विचार करना।

Drishti IAS

भारत के चुनावी प्रणाली को और अधकि सशक्त करने के लयि क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- **चुनावी वित्त सुधार:** [द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC)] **की सिफारिशानुसार** वैध व्ययों की प्रतिपूर्ति सहित आंशिक राज्य **वित्तपोषण लागू करना; निर्धारित सीमा से अधिक दान का अनिवार्य डिजिटल प्रकटीकरण सुनिश्चित करना ; गुमनाम कॉर्पोरेट वित्तपोषण** पर नियंत्रण हेतु प्रभावी विनियमन; [सुदृढ़ CAG/ECI] ऑडिट तंत्र की स्थापना तथा धनबल पर अंकुश और मतदाता विश्वास को प्रबल बनाने के लिये एक **सार्वजनिक चुनाव व्यय पोर्टल** की व्यवस्था करना।
  - **इसके अतिरिक्त,** [राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005] के अंतर्गत लाने पर भी विचार किया जाना चाहिये।
- **आंतरिक पार्टी लोकतंत्र का संवर्द्धन**: राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं, किंतु अधिकांश दल अब भी बंद, परिवार-प्रधान इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं।
  - कानून में **नियमित आंतरिक चुनाव, पारदर्शी उम्मीदवार चयन प्रक्रिया और ऑडिटेड पार्टी संविधान को अनिवार्य किया जाना चाहिये।**
  - इसके अतिरिक्त, [विधि आयोग] **की वर्ष 1999 की रिपोर्ट ने आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को सुनिश्चित** करने हेतु एक **नियामक ढाँचा प्रस्तावित किया था।**
- **डिजिटल अभियान और डीपफेक को विनियमित करना:** सभी राजनीतिक विज्ञापनों में (प्रायोजक, वित्तपोषण स्रोत और भू-लक्ष्यीकरण) से **संबंधित पहचान योग्य प्रकटीकरण लेबल को अनिवार्य** किया जाए।
  - वास्तविक समय में सोशल मीडिया को स्कैन करने के लिये एक**राष्ट्रीय डीपफेक डिटेक्शन सेल (आईआईटी और सीईआरटी-इन के साथ) की स्थापना करनी चाहिये।**
  - अनुपालन न करने वाले प्लेटफॉर्म के लिये दंड के साथ **सख्त निष्कासन प्रोटोकॉल** लागू करना चाहिये। एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह, डीपफेक और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिये **मतदाता साक्षरता अभियान शुरू करना चाहिये।**
- **ECI को मज़बूत करना:** चुनाव आयोग को पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता दी जाए और उसका बजट सीधे भारत की संचित निधि से आवंटित किया जाए।
  - **स्थायी कर्मियों से युक्त क्षेत्रीय चुनाव आयोग प्रकोष्ठ,** भारत के विशाल निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावी और सुदृढ़ निगरानी सुनिश्चित कर सकते हैं।
  - संसदीय समितियों द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं की **नियमित निष्पादन लेखापरीक्षा से विश्वसनीयता बढ़ेगी** तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के संरक्षक के रूप में **भारत निर्वाचन आयोग को मज़बूती मिलेगी।**
  - **चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने, हितों के टकराव को समाप्त करने, केंद्र एवं राज्य सरकारों पर निर्भरता घटाने और स्वायत्तता व निष्पक्षता** सुनिश्चित करने हेतु ईसीआई को अधिकारियों का एक स्थायी एवं स्वतंत्र कैडर स्थापित करना चाहिये।
- **निर्वाचन प्रक्रिया सुधार: बूथ-स्तरीय मतदान पैटर्न के खुलासे को रोकने के लिये पूरे देश में टोटलाइज़र मशीनों** के उपयोग का विस्तार किया जाएगा, ताकि वोटों को बूथ स्तर पर मिश्रित किया जा सके।
  - **एक समान मतदाता सूची** सुनिश्चित करनी चाहिये, **आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना चाहिये** तथा समान अवसर बनाए रखने और मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिये **अभियान की अवधि को सीमित करना चाहिये।**
- **समकालिक एवं सतत् चुनावों की ओर: "एक राष्ट्र, एक चुनाव"** की अवधारणा को स्थानीय और राज्य स्तर पर प्रायोगिक रूप से लागू किया जाए। दोहराव कम करने के लिये एक **स्थायी राष्ट्रीय मतदाता सूची** और **एक समान मतदाता पहचान-पत्र लागू करने चाहिये।**
  - एक साथ होने वाले चुनावों से होने वाली बचत को शासन की ओर पुनर्निर्देशित करना चाहिये तथा धीरे-धीरे लागत-कुशल, समय-कुशल और शासन-अनुकूल चुनावों के लिये एक **निश्चित चुनावी कैलेंडर लागू करना चाहिये।**

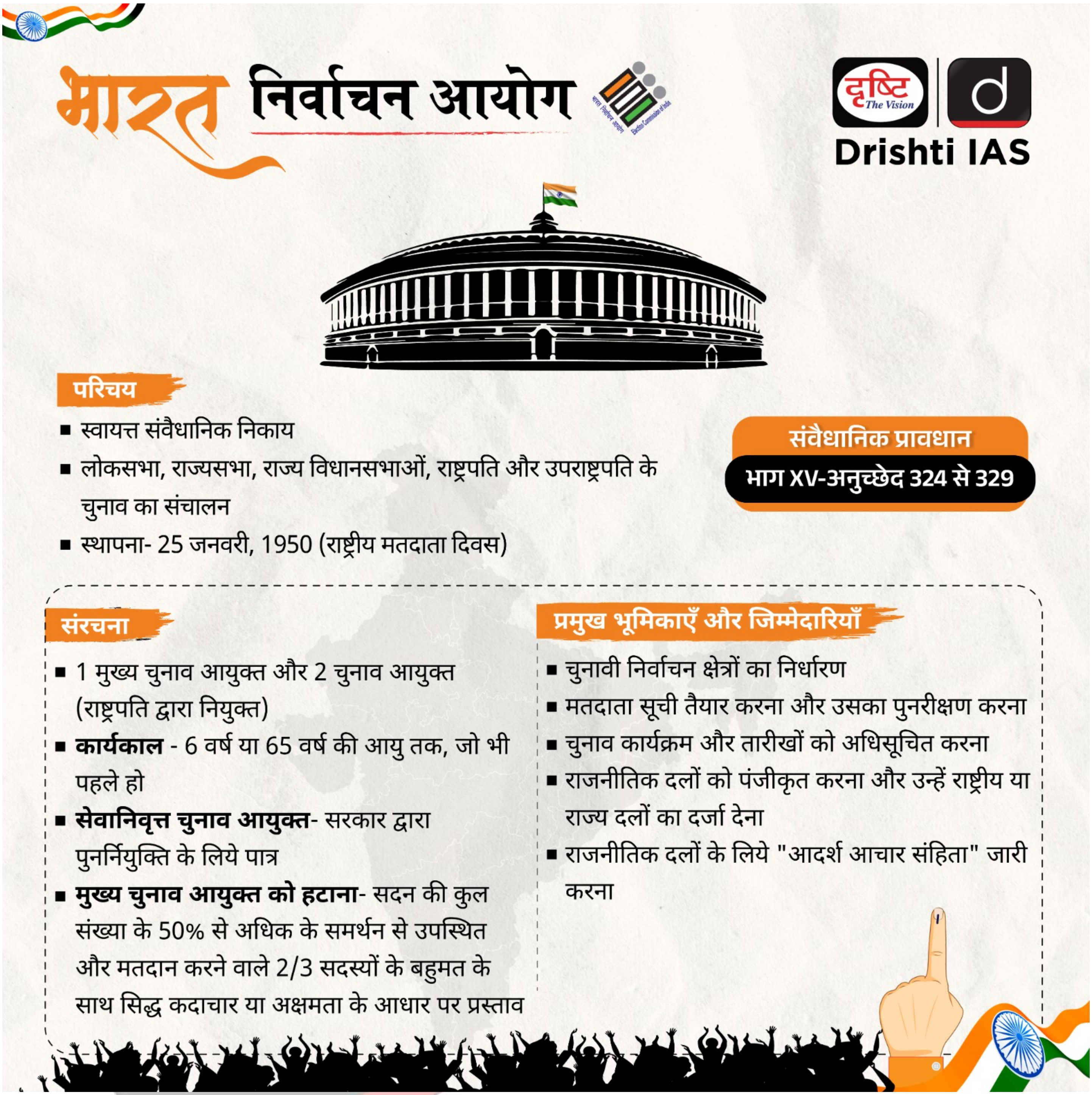

निष्कर्ष

सुदृढ़ लोकतंत्र की आधारशिला उसकी चुनावी व्यवस्था की मज़बूती में निहित होती है। इसके लिये **संस्थागत स्वतंत्रता को सशक्त बनाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, मतदाता भागीदारी का विस्तार करना, दलों के भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों को मज़बूत करना तथा आधुनिक तकनीक** का समुचित उपयोग करना आवश्यक है। इन्हीं **समग्र और सतत् प्रयासों के माध्यम से भारत अपनी चुनावी प्रणाली की अखंडता, विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित** कर सकता है तथा एक सशक्त और जीवंत लोकतंत्र की भावना को वास्तविक रूप में बनाए रख सकता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: “[illegible]” हालिया विवादों एवं स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की आवश्यकता के संदर्भ में इस कथन की समालोचनात्मक समीक्षा कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

???????????

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (2021)

1. भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोक सभा चुनाव में तीन निर्वाचन-क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है।
2. 1991 के लोक सभा चुनाव में श्री देवी लाल ने तीन लोक सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था।
3. वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोक सभा चुनाव में कई निर्वाचन- क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन-क्षेत्रों के उप-चुनावों का खर्च उठाना चाहिए, जिन्हें उसने खाली किया है बशर्ते वह सभी निर्वाचन-क्षेत्रों से विजयी हुआ हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 3
(d) 2 और 3

उत्तर: (b)

??????

प्रश्न 1. विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए, एवं "एक राष्ट्र-एक चुनाव" के विशिष्ट संदर्भ में, चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये। (2024)

प्रश्न 2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिये। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिये। (2022)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/transforming-india-s-electoral-landscape